



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 1520/2018**

| अपीलार्थी  | बनाम | प्रत्यर्थी   |
|--|------|--|
| जयप्रकाश हरवानी<br>एच-676] एम-आई-ए- 11 फैज-<br>बासनी,<br>Jodhpur,Rajasthan |      | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>उप सचिव<br>राजस्व उपनिवेशन विभाग शासन<br>सचिवालय Jaipur |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 04/04/2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा, संयुक्त शासन सचिव, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14-7-17 के द्वारा राजस्व लोक अदालत एवं न्याय आपके द्वार कार्यक्रम दिनांक 15-5-15 से 31-7-15 के तहत दोहरे आंवटन वाली कस्टोडियन भूमि के निस्तारण के क्रम में राजस्व मंत्री के समक्ष किये गये आवेदन दिनांक 10-1-17, 10-2-17 एवं 28-3-17 आदि के क्रम में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का मूल आवेदन दिनांक 14-7-17 कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 14-8-17 जो कार्यालय में दिनांक 24-8-17 को प्राप्त हुई के क्रम में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 5-9-17 से अवगत करवा दिया गया। यह भी निवेदन किया कि अपील के साथ अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त हुआ परन्तु उससे यह स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा क्या सूचना चाही जा रही है। आवेदन में विशिष्टियों का अभाव है एवं चाही गई सूचना प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक व भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्धित है जो कि सूचना की परिभाषा में नहीं आती है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 14-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)  
मुख्य सूचना आयुक्त

